भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 135
दिनांक 1 दिसम्बर 2025

ओएनजीसी के कुंओं से गैस चोरी का मामला

135 # **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ओएनजीसी के कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित कुओं से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस चोरी होने का मामला सामने आया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मामले में अब तक की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. शाह की अगुवाई में एक समिति गठित की थी, यह समिति कृष्णा गोदावरी बेसिन में ओएनजी के केजी-डीडब्लयूएन--98/2 और गोदावरी पीएमएल ब्लॉक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के केजी- डीडब्लयूएन-98/3 ब्लॉक से जुड़े गैस-माइग्रेशन के मुद्दे को देखेगी। समिति की रिपोर्ट में यह नतीजा निकला कि आरआईएल ने माइग्रेटेड गैस का उत्पादन किया और इस तरह गलत तरीके से खुद को समृद्ध बनाया। इसलिए सरकार ने उत्पादित और बेची गई माइग्रेटेड गैस से जुड़ी कमाई वापस करने और वसूलने की मांग की।

आरआईएल ने इस मांग के खिलाफ मध्यस्ता का सहारा लिया, और मध्यस्ता न्यायाधिकरण ने सरकार के विरुद्ध फैसला लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के एकल जज के सामने इस निर्णय के खिलाफ सरकार की चुनौती खारिज कर दी गई। हालांकि, खंड पीठ द्वारा एकल जज के आदेश और मध्यस्ता निर्णय दोनों को खारिज करते हुए सरकार की अपील को अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद संविदाकारों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, जो लंबित है।

****